फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

18-06-2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–298 / 2008 में आवेदक **मो0 आजम जमाल**, पिता–स्व0 लालदीन, सा0–चनमारी, वार्ड नं0–04, पो0+थाना–मोकामा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–18.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदारी करते हैं। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–392 / गो0, दिनांक–19.03.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, मोकामा के मंतव्य से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसित एवं अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, मोकामा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदारी का कार्य करते हैं। आवेदक के विरूद्ध मोकामा थाना कांड सं0–199 / 2002, दिनांक–24.10.2002, धारा–364(A)/392/120(B)/34 भा0द0वि0 दर्ज तथा मोकामा थाना कांड सं0–199 / 2002 दर्ज, जिसमें न्यायालय द्वारा उन्हें निर्दोष पाया गया है। उक्त कांड के अतिरिक्त मोकामा थाना कांड सं0–218 / 2002, दि0–20.11.2002 धारा–147 / 148 / 149 / 427 / 452 / 504 भा0द0वि0 दर्ज है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पिता के नाम पूर्व से रिवाल्वर / रायफल एवं बन्दूक की अनुज्ञप्ति था, जो मृत्युपरांत शस्त्र दुकान में जमा है। आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'हाँ' प्रतिवेदित किया गया है। साथ हीं थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के अन्तर्गत (क) (ख) और (ग) में नहीं प्रतिवेदित किया गया है, के बावजूद शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र को अनुशंसित किया गया, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

आवेदक के आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय हेतु लंबित रहने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पटना उच्च न्यायालय, पटना में अपील याचिका दायर किया गया, जिसमें सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6381/2010 सकिना बेगम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक–06.01.2012 को आदेश पारित किया गया, जिसमें आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर चार माह के अंदर पुणर्विचार हेतु निदेश दिया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii)

capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक मो0 आजम जमाल, पिता–स्व0 लालदीन, सा0–चनमारी, वार्ड नं0–04, पो0+थाना–मोकामा, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।